राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 19 फरवरी, 2009 / 30 माघ, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 फरवरी, 2009

संख्या विद्युत–छ–(5)–28 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत एक केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः फाटी रैला कोठी भलाण, उप तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण–।। के सिऊंड सर्ज साफट रोड़ हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते ह्वैं कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–(1) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना, लारजी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
कुल्लू	सैंज	फाटी रैला कोठी भलाण	1439	1-5
			1440	3-14
			1800/2	0-12
			2020/2/2	1-10
			2024/2	6-1
			2025/2	0-11
			2025/3	0-18
			2046/2	0-10
			2046/3	1-5
			2048/2	2-15
			2048/4	3-15
			2234/2/1	0-6
			2257/3	1-16
			2265	0-6
			2266	0-6
			2267	0-2
			2269/2/1	0-11
			2269/2/2	0-6
			2270/2	0-14
			2271/2	0-15
			2272/3	1-8
			2274/3	4-15
			3517/2407	1-4
			2462/2	1-19
			2463/2	1-4
			2795	1-4
			2803/2	0-16
			2808/1	1-7
			3603	2-2
			3604	1-7
			1461	0-2
			1352	0-17
			2041	0-12
			2043	0-2
			1454	0-2
			1455	0-15
			2010/3/1	0-6
			2010/3/2	0-17
			कुल कित्ता–**38**	कुल रकबा– **48.17** बीघा

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 17फरवरी, 2009

संख्या आयु0–सी–क(3)–2 / 98.V.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आर्युवेद) विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, वर्ग–। (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना के साथ सलंग्न, 'उपाबन्ध–क' के अनुसार, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, बनाता हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आर्युवेद) विभाग, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, (वर्ग–। (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.–**(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या हैल्थ ए (3)–10 / 88 तारीख 29–06–1992 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आर्युवेद) विभाग, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, (वर्ग–। (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1992 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गइ कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

उपाबन्ध– ''क''

हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्वति औरैर हौम्योपेथी (आयुर्वेद) विभाग में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.–**आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी।

2. **पदों की संख्या.–**1148 (एक हजार एक सौ अठतालीस)।

3. **वर्गीकरण.–**वर्ग– I (राजपत्रित)।

4. **वेतनमान.–**7220–220–8100–275–10300–340–11660.

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.–**चयन पद।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.–**45 वर्ष से कम।

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियो सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यार्थियों पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यार्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों में तथा स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों में ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथा स्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताए. –अनिवार्य अर्हता.– 1. विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड या केन्द्रीय/राज्य सरकार/ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (CCIM) से मान्यता प्राप्त सस्था से आयुर्वेद में कम से कम पांच वर्ष की अवधि की मान्यता प्राप्त उपाधि ।

2. अनिवार्य अपेक्षित योग्यता.–जहां कहीं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपेक्षित हों । **वांछनीय अर्हताः** हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.–लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.–दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.–(क) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ।

(ख) 50 प्रतिशत बैचवार नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ।

11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थनान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्तियां/ स्थानान्तरण किया जाएगा.–लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना.–लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजन से परामर्श किया जायेगा.–जैसाकि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.–किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा । यदि, यथा स्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा आवश्यक या समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम यथास्थिति, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवर्धारित किया जायेगा ।

15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–सकंल्पना (क) इस नीति के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्वति और हौम्योपेथी (आयुर्वेद) विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पदों का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.–हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की दशा में सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यापेक्षा को सम्बद्व भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा और सम्बद्व भर्ती अभिकरण रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमत्रिंत करेगा ।

पदों का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में न आना.–निदेशक आयुर्वेद रिक्त पदों को बैचवार संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के निबन्धनों के अनुसार अध्यपेक्षा को प्रदेश में नियोजनालयों के समक्ष रखेगा और रिक्त पदों के ब्यौरे दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमत्रिंत करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता षर्तों के अनुसार किया जायेगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II) देय उपलब्धिया.–संविदा के आधार पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को 10830 / – रूपये की समेंकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर) प्रतिमास संदत्त किया जायेगा । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियो में 220 / –रूपये की रकम (पद कें वेतनमान में वार्षिक वृद्वि के बराबर) वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात किए जायेंगे ।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.–सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रकिया.–(क) **विभागीय स्तर पर बैचवार आधार पर भरे जाने वाले पद के लिएः–**संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए निम्नलिखित प्रकिया बैचवार आधार पर भर्ती के लिए अपनाई जायेगी :–

1. नियोजनालयों द्वारा प्रायोजित अभ्यार्थियों की चयन समिति जांच करेगी।

(i) अभ्यार्थी का नाम, जनकता का नाम और पता ।

(ii) जन्म तिथि और यह कि अभ्यार्थी विहित आयु सीमा के भीतर आता है ।

(iii) क्या सस्था तथा अभ्यार्थी की डिग्री सी.सी0आई0एम./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

(iv) क्या अभ्यर्थी ने नियमों के अधीन अपेक्षित अतःशिक्षुता पूर्ण कर ली है ।

(v) हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/वार्ड आफ एक्स सर्विसमैन/स्वतन्त्रता सैनानियों के आश्रितों होने इत्यादि होने का प्रमाण ।

(vi) अभ्यर्थी की अंक सूची ।

(vii) उच्चतर अर्हता का प्रमाण पत्र यदि कोई हो; और

(viii) बैचवार आधार पर नियुक्ति प्रत्येक प्रवर्ग में अभ्यर्थी की भर्ती बैच स्तर तक उस प्रवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों की सख्या के अनुसार की जायेगी । यदि किसी विशिष्ट बैच के सभी अभ्यार्थियों को समायोजित नहीं किया जा सकता है तों आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को पहले लिया जायेगा ।

(2) चूंकि बैचवार आधार पर भर्ती जिससे चयन स्तर पर मैरिट का अवधारण अर्न्तविलित नहीं होगा चयन विभागीय स्तर पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) **सम्बद्ध भर्ती अभिकरण के माध्यम से भरे जाने वाले पद के लिएः–**सविंदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समित.–(क) विभागीय स्तर पर भरे जाने वाले पदों को भरने के लिएः–''जैसी सक्षम प्राधिकारी सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर गठित की जाए ''।

(ख) **प्राधिकृत भर्ती अभिकरण के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिएः–**''जैसी सक्षम भर्ती प्राधिकारण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर गठित की जाए '' ।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों के साथ सलंग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VIII) निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 10830/– रूपये की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन) प्रतिमास संदत्त किया जायेगा । यदि संविदा में द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए बढ़ौतरी की जाती है तो संविदात्मक रकम में 220/– रूपये की रकम (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्वि) वार्षिक वृद्वि के रूप में दिए जाएंगे और अन्य कोई सुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदात्मक नियुक्त, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितकिरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकाारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जायेगा ।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(छ) चयनित अभ्यार्थियों को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यार्थियों को किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकाारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.—इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यार्थी को, किसी भी दशा में विभाग में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियमतिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन—जातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय—समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहॉ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहा वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

————————

उपाबन्ध—''ख''

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी औरैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्रारूप

यह करार श्री / श्रीमती .....पुत्र / पुत्री श्री .....निवासी..... ....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः—

01. यह कि प्रथम पक्षकार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में.....से प्रारम्भ होने और .... समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में होगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.....दिन को सवंयमेव ही पर्यावसित समझी जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

02. प्रथम पक्षकार को वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन का संविदा वेतन संदत्त किया जायेगा ।

03. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

04. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी ।

05. संविदा पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाा अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्याादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियुमानुसार दिया जायेगा ।

06. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा । संविदा पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कर्त्तवय (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा।

07. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दषा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

08. चयनित अभ्यार्थी को दीनदयाल उपाध्याय (रिपन) जोनल अस्पताल, शिमला से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यार्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यार्थियों का दीनदयाल उपाध्याय (रिपन) जोनल अस्पताल, शिमला से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

09. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी की नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

11. किसी भी प्रकार की प्राईवेट प्रैक्टिस प्रतिषिद्ध है ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में

1 .....

.....

(नाम व पूरा पता)

2 .....

.....

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

(नाम व पूरा पता)

साक्षी की उपस्थिति में

1 .....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

(नाम व पूरा पता)

————————

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-2/98-V dated: 17.02.2009 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 17th February, 2009

No. Ayu-A(3)-2/98-V.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 to the Constitution of India, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Ayurvedic Medical Officer (Class-I Gazetted) in the Department of Indian System of Medicine and Homeopathy (Ayurveda), Himachal Pradesh, as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the H.P. Department of Indian System of Medicine and Homeopathy (Ayurveda) Ayurvedic Medical Officers, Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine & Homeopathy Ayurvedic Medical Officer (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1992, notified vide this Department's notification No. Health-A(3)-10/88 dated: 29.06.1992 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order,
DEEPAK SANAN,
Principal Secretary.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT & PROMOTION RULES OF THE POST OF AYURVEDIC MEDICAL OFFICER {CLASS-I GAZETTED} IN THE DEPARTMENT OF INDIAN SYSTEM OF MEDICINES (AYURVEDA) HIMACHAL PRADESH

1. **Name of Post.—** Ayurvedic Medical Officer
2. **Number of post(s).—**1148 (One Thousand One Hundred Forty Eight)
3. **Classification.—** Class-I (Gazetted)
4. **Scale of pay.—**7220-220-8100-275-10300-340-11660.

5. **Whether selection post or non selection post.—**Selection post

6. **Age for direct recruitment.—45** 6 **years and below.**

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contact appointment.

Provided further that the upper age limit is relaxable for scheduled cast/scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Undertakings/ autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Undertakings/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will however be admissible to such staff of the Public Sector Undertakings/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such Undertakings/autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Undertakings/autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment shall be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. **Minimum Educational & other Qualifications required for direct recruits.—**
(I) ESSENTIAL QUALIFICATION:-(i) Recognised degree in Ayurveda not less than five years duration from a recognized University/Board established by law or institution recognized by the Central/State Govt./CCIM.

(ii) Compulsory Rotatory Internship wherever required by the Central Council of Indian Medicine.

(II) DESIRABLE QUALIFICATION :-Knowledge of customs/ manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the Promotees.—Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(a) 50% by direct recruitment on regular or contract basis.

(b) 50% by batchwise on regular or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation transfer grade from which promotion / deputation transfer is to be made.—Not applicable

12. If a Departmental promotion committee exits, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Candidates for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test, or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the commission /other recruiting authority, as the case may be.

15(A). Selection for appointment to the post by contract recruitment.—I) CONCEPT:
a) Under this policy, Ayurvedic Medical Officers in the Deptt. of Indian System of Medicine will be engaged on contract basis initially for one year, which may extendable for two more years on year to year basis.

b) Posts falling within the purview of HPPSC: In respect of the vacancy (s) to be filled up by HPPSC the Secreatry (Ayurveda), H.P. will place the requisition with concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission and the concerned recruiting agency will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from those fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

Posts falling out of the purview of HPPSC: The Director Ayurveda after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on batchwise basis on contract basis will place the requisition with the employment exchanges in the Pradesh in terms of Employment Exchange (Compulsory Notification of vacancies) Act, 1959 and also advertise the details of the vacant posts in two leading newspapers and invite applications from the candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these rules.

d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-The Ayurvedic Medical Officers appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 10,830/- per month (which shall be equal to the initial of the pay scale plus dearness pay). An amount of Rs. 220/-(equal to annual increase in pay scale of the post for the second and third year respectively) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(**III) APPOINTMENT/DISCIPLINARY AUTHORITY** :-The Secretary (Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:-**(a) For the post to be filled up at Departmental level on batch wise basis:** Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment, the following procedure will be adopted for recruitment on batch wise basis :-

1. A selection committee will screen the candidates sponsored by the Employment Exchanges.

(i) Name, parentage and address of the candidate.

(ii) Date of birth and that the candidate falls within the prescribed age limits;

(iii) Whether the institution and the degree of the candidate are recognized by the CCIM / Govt. of India;

(iv) Whether the candidate has completed internship required under the rules;

(v) Proof of bonafied resident of H.P., SC/ST/ward of Ex-servicemen/ward of freedom fighter etc;

(vi) Marks list of the candidates ;

(vii) Certificate of higher qualification, if any; and

(viii) The candidates will be recruited on batchwise basis in each category upto the batch as per number of vacancies available in that category. If all the candidates in a particular batch cannot be accommodated, the candidate senior in age will be taken first.

(2) Since the recruitment on batchwise basis which will not involve determination of merit at the selection stage, the selection is proposed to be conducted departmentally.

(b) For the posts to be filled up through the concerned recruitment agency: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission.

(**V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:- (For the posts to be filled up at Departmental Level):** "As may be constituted by the competent authority i.e. Secretary (Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh from time to time."

(For the posts to be filled up by the authorized recruiting agency) "As may be constituted by the competent authority i.e. HPPSC from time to time."

(VI) AGREEMENT:-After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:-(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 10830/- per month (which shall be equal intial of the pay scale +dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 220/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) per annum for second and third year respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales and NPA etc. shall be given.

(b) The service of the contract Appointee will be purly on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual Appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract Ayurvedic Medical Officers will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government authorised/registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from Government authorised/registered Medical Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular Ayurvedic Medical Officer at the minimum of the Pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:-The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Ayurvedic Medical Officer in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled caste/scheduled tribes/Other Backward classes/other categories of persons issued by H.P. Government from time to time.

17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the Provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE AYURVEDIC MEDICAL OFFICERS AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR OF AYURVEDA

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____between Shri/Smt._____ son/daughter of Shri _____ R/O _____ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Director of Ayurveda, Himachal Pradesh (hereinafter called the SEOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Ayurvedic Medical Officer on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Ayurvedic Medical Officer for a period of one year commencing on the _____ day of _____ and ending on the _____ day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contract salary of the FIRST PARTY will be paid Initial of the pay scale plus Dearness Pay.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. Contractual Ayurvedic Medical Officer will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Ayurvedic Medical Officer. He will not be entitled for any kind of Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

6. Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Ayurvedic Medical Officer will not be entitled for salary for the period of absence from duty.

7. Transfer of a officer appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from DDU Zonal (RIPON) Hospital, Shimla. In case of women candidate pregnancy beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from DDU Zonal (RIPON) Hospital, Shimla.

9. Contract officer shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officer at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme will not be applicable to the comntractual appointee(s) as well as EPF/GPF.

11. Private practice of any kind, whatsoever is prohibited.

Signed by the FIRST PARTY and SECOND PARTY in the presence of following witnesses on the aforesaid date:-

In the presence of witnesses:-
1. _____
Name _____
Address _____
_____
_____
2. _____
Name _____
Address _____
_____
_____

(Signed by first Party)

1. _____
Name _____
Address _____
_____
_____
2. _____
Name _____
Address _____
_____
_____

(Signed by second Party)

————

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
(Vocational & Industrial Training)

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 13th February, 2009

No. EDN(TE)B(1)6/99-Vol-I.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri D.K. Gautam , HOD, (Civil Engg.) as Principal (Polytechnic) in the pay scale of Rs. 14300-16800/- purely on

adhoc basis for a period of six months with immediate effect owing to the secondment of one of the cadre officers . In case the officer on secondment reverts back to the Department , Shri D.K. Gautam will automatically be reverted back to his own post of HOD,(Civil Engg.).

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Shri D.K. Gautam in the Govt. Polytechnic Hamirpur.

3. The above adhoc promotion will not confer any right upon this officer for regular promotion , continuation , seniority, etc.

Shimla-171002, the 13th February, 2009

No. EDN(TE)B(2)3/2007-loose.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Chander Shekhar , Lecturer Computer Engg. as Head of Department, Computer Engg. in the pay scale of Rs. 12000-16350/- with immediate effect.

2. Sh Chander Shekhar will be on probation for a period of two years from the date of joining the post .

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Sh. Chander Shekhar, in Govt. Polytechnic Hamirpur, against the vacant post.

Shimla-171002, the 13th February, 2009

No. EDN(TE)B(1)6/99-Vol-I.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri O.S. Sain, Head of Department Architecture as Principal, Polytechnic in the pay scale of Rs. 14300-16800/- with immediate effect.

2. Shri O.S. Sain will be on probation for a period of two years from the date of joining the post.

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Shri O.S. Sain on his promotion as Principal, Polytechnic, in Govt. Polytechnic Banikhet.

Shimla-171002, the 13th February, 2009

No. EDN(TE)B(2)3/2007.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the placement of Shri P.P. Sharma, Head of Department CCDC as Deputy Director (Training & Placement) in his own pay scale, with immediate effect.

2. Shri P.P. Sharma will be on probation for a period of two years from the date of joining the post.

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Shri P.P. Sharma on his placement as Deputy Director (Training & Placement), in the Directorate of Technical Education, Sundernagar.

Shimla-171002, the 13th February, 2009

No. EDN(TE)B(2)3/2007-loose-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of following Lecturers of Applied Sciences & Humanities as Head of Department, Applied Sciences & Humanities on marit basis in the pay scale of Rs. 12000-16350 /- with immediate effect :—

1. Shri Prem Kumar, Lect. English,
2. Shri Dwijender Sharma, Lect.English
3. Shri Randhir Singh , Lect. Math
4. Shri Achhar Singh ,Lect. English
5. Shri Karam Singh , Lect. Math
6 Smt. Manju Sharma, Lect.Chemistry.
7. Shri Jawahri Ram, Lect. Physics.

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of two years from the date of joining the post .

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of above mentioned officers on their promotion as HOD, Applied Sciences & Humanities in the following manners :—

1. Shri Prem Kumar, Lect.	Govt. Polytechnic Banikhet.
2. Shri Dwijender Sharma	Govt. Polytechnic Kangra
3. Shri Randhir Singh	Govt. Polytechnic Kandaghat, and deployed at G.P. Talwar for smooth running of the institution.
4. Shri Achhar Singh	Govt. Polytechnic Sundernagar.
5. Shri Karam Singh	Govt. Polytechnic Hamirpur.
6 Smt. Manju Sharma	Govt. Polytechnic Ambota.
7. Shri Jawahri Ram	Govt. Polytechnic Rohru.

———————

Shimla-171002, the 13th February, 2009

No. EDN(TE)B(2)3/2007.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Satish Dhingra, Senior Lecturer Civil Engg. as Head of Department, Civil Engg. in the pay scale of Rs. 12000-16350/- with immediate effect.

2. Sh Satish Dhingra will be on probation for a period of two years from the date of joining the post .

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Sh. Satish Dhingra , on his promotion as HOD, Civil Engg. in Govt. Polytechnic Hamirpur.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

COOPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th February, 2009

No. Coop. A(2)-2/92.—In exercise of the powers conferred under Section 3(1) of the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri R.D. Dhiman, I.A.S. as Registrar, Cooperative Societies with effect from 1-1-2009.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 31 दिसम्बर, 2008

संख्या वि0 स0–फिन–3एम (मैनुअल)166 / 03.——अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव असैम्बली, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते एवं पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा–7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार तथा भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 में और संशोधन करने के लिए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात्,

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार तथा भवन निर्माण के लिए अग्रिम) (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 होगा।

(ii) ये नियम तत्काल प्रभाग से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन.——**हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार तथा भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 3 के परन्तुक का विलोप कर नियम 4 में विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,

> ''परन्तु यह और कि यदि यथास्थिति सदस्य ने इन नियमों के नियम 13 या हि0 प्र0 मंत्रियों के (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम), नियम 2000 के नियम, 13 या हि0 प्र0 विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटर कार तथा भवन निर्माण के लिए अग्रिम), नियम, 2001 के नियम 13 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया हो तथा पूर्ण राशि का उस पर ब्याज सहित संदाय कर दिया है तो वह, अधिकतम सीमा से अनधिक, द्वितीय अग्रिम प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।''

3. **नियम 13 का संशोधन.——**उक्त नियमों के नियम 12 के परन्तुक का विलोप कर नियम 13 में विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,

> ''परन्तु यह और कि यदि यथास्थिति सदस्य ने इन नियमों के नियम–4 के अधीन या हि0 प्र0 विधान सभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के मोटर कार हेतु अग्रिम नियम, 2001 के लिए 4 के अधीन या हि0 प्र0 मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम 2000 के नियम, 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम लिया है तथा पूर्ण राशि का ब्याज सहित संदाय कर दिया है तो वह, अधिकतम सीमा से अनधिक द्वितीय अग्रिम प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।''

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव।

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-171004, 31st December, 2008

No.V.S -Fin-3M(Manual)-166/03.—In exercise of the powers vested in him under Section-7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971(Act No. 8 of 1971), the Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make Rules in order to carry out the following amendment in Rule 4 and 13 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building Advance) Rules, 2001:

1. *Short title & commencement.*—(1) These Rules may be called the H.P. Legislative Assembly Members (Motor Car and House Building advance, 1st Amendment) Rules, 2008.

(2) These Rules shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment of rule-4.*— Proviso to Rule-3 of the H.P. Legislative Assembly Members (Motor Car & House Building Advance) Rules, 2001 shall be deleted and after the existing second proviso to Rule-4, the following proviso shall be added namely:—

> "Provided further that in case the Member has taken the House Building Advance under Rule 13 of these rules or under Rules 13 of the H.P. Ministers Advance for Motor Car and House building Rules, 2000 or under rule 13 of the H.P. Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car and House Building Rules), 2001 and has refunded the whole amount with interest thereon then he shall be entitled to avail Second Advance not exceeding the maximum limit".

3. *Amendment to rule-13.*—Proviso to Rule-12 of the *ibid* rules shall be deleted and after the existing Second proviso to Rule 13, the following proviso shall be added, namely:

> "Provided further that in case the Member has taken Motor Car Advance under Rule-4 of these rules or rule-4 of the H.P. Ministers advance for Motor Car and House Building Rules, 2000, or under Rule-4 of the H.P.Legislative Assembly Speaker & Dy. Speaker's (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 and has refunded the whole amount with interest thereon then he shall be entitled to avail Second Advance not exceeding maximum limit"

By order
Sd/-
Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Mast Ram S/O Sh. Trahdu Ram, Village-Triyambla, Post Office Longani, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Mast Ram S/O Sh. Trahdu Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———————

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 (Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Parween Kumar S/O Sh. Relu Ram, Village- Hukkal, Post Office Longani, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Parween Kumar S/O Sh. Relu Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———————

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 (Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Takdir Singh S/O Sh. Gian Chand, Village & Post Office Baradla, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त चक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Takdir Singh S/O Sh. Gian Chand, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———————

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 (Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Raj Kumar S/O Sh. Sewak Ram, Village- Hawali, Post Office Hiyun Pehad, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Raj Kumar S/O Sh. Sewak Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———————

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 (Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Lalit Kumar S/O Sh. Ramesh Chand, Village & Post Office Kothuan, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Lalit Kumar S/O Sh. Ramesh Chand, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 (Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Hari Dass S/O Sh. Basanta, Village- Dharnashi, Post Office Sadhote, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Hari Dass S/O Sh. Basanta, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 (Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Om Chand S/O Sh. Raghu Ram, Village Dharjole & Post Office- Dev Baradla, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Om Chand S/O Sh. Raghu Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84**(Lab) I.D/2008-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Suresh Kumar S/O Sh. Kala Ram, Village Sandhoa & Post Office Baradta, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Suresh Kumar S/O Sh. Kala Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 **(Lab) I.D/2008-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Inder Pal S/O Sh. Gobind Ram, Village & Post Office Baradta, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. ds e/; नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Inder Pal S/O Sh. Gobind Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 (Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Brij Lal S/O Sh. Diwan Chand, Village- Triyambla, Post Office Longani, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरीने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of fd Sh. Brij Lal S/O Sh. Diwan Chand, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84 (Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Vidya Dutt S/O Sh. Kapil Dev, Village Rakheda, Post Office Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का

14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Vidya Dutt S/O Sh. Kapil Dev, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या :11-1/85(Lab) I.D/2008-Kangra.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Kapil hakur S/O Sh. Kishan Chand, VPO Gumma, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P. V/S i) The Divisional Manger, H.P. State Forest Corporation Dharamsala, Distt. Kangra, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है । और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है । अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether action of the employer i.e. i) The Divisional Manger, H.P. State Forest Corporation Dharamsala, Distt. Kangra, H.P. to not allow the workman Sh. Kapil Thakur S/O Sh. Kishan Chand to join his duty as Watch & Ward, who remained in Police Custody from 05.12.1998 to 24.2.1999 for a murder case and was honourably acquitted by the Ld. Session Judge Mandi,(H.P.) vide judgment dated-28.9.2005, is legal and justified? If not, what relief of continuity of service, seniority, back wages and compensation the aggrieved workman is entitled to from above employers?"

———

शिमला–171001, ...अक्तूबर, 2008

संख्या 11–6 / 85(Lab)ID / 08-Shimla.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kamal Dev S/O Shri Roop Lal, Village & PO Bhrara, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, H.P.V/S The Divisional Forest Officer Shimla, Mist Chamber, Khalini, Shimla-2, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether termination of the services of Sh. Kamal Dev S/O Shri Roop Lal by the Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division Shimla w.e.f. 30.3.2007 while keeping S/Sh. Uma Dass, Narinder,Yog Raj, Gagan, Nek Chnad, Surunder, Yog Raj, Ram Singh & Tilak Ram, who were junior to him in job is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from above employer?"

शिमला–171001, 07 November, 2008

संख्या 11-1/95(Lab) I.D/08-Rampur.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Roshan Lal S/O Shri Humbi Ram, Village Kuki, PO Darkali, Tehsil Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P.V/S The Executive Engineer, Electrical Division HPSEB, Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

1. "Whether action of the employer i.e. The Executive Engineer, Electrical Division HPSEB, Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. not to give workcharge status to Sh. Roshan Lal S/O Shri Humbi Ram but to give workcharge status to namely S/Sh. Mangat Ram, Kedar Singh, Bhajan Dass, Parkash Singh, Parkash Chand, Jaswant Singh, Lachmmi Dass, Joginder Singh, Roshan Lal and Bhau Ram who are junior to workman Sh. Roshan Lal is proer and justified? If not, to what relief and compensation the above worker is entitled to?"

2. "Whether action of the employer i.e. The Executive Engineer, Electrical Division HPSEB, Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P to again terminate the services of Sh. Roshan Lal S/O Shri Humbi Ram vide notice no. HPSEB/RED-E-19(A)/08-09-3493-98, dated-25.7.2008 without paying any retrenchment compensation as provided under Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, to what relief of service benefits including seniority and compensation the above worker is entitled to ?"

शिमला–171001 the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Ram Lal S/O Sh. Amar Singh, Village- Paplog, PO & Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh Sh. Ram Lal S/O Sh. Amar Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Ramesh Kumar S/O Sh. Nikka Ram, VPO Baroti, Village & Post Office Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Ramesh Kumar S/O Sh. Nikka Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008.

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Raghubir S/O Sh. Bela Ram, Village- Dhanrashi, PO Sandhote, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Raghubir S/O Sh. Bela Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008.

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Desh Raj S/O Sh. Bhali Ram, Village-Thana, Post Office - Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Desh Raj S/O Sh. Bhali Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Kehar Singh S/O Sh. Kanehya, Village-Mortan, Post Office Sadhote, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को

उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Kehar Singh S/O Sh. Kanehya, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———————

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Kamlesh S/O Sh. Rikhi Ram, Village & Post Office - Tanihar, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Kamlesh S/O Sh. Rikhi Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?"

———————

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Kamal Singh S/O Sh. Bhag Singh, Village- Chatrena, Post Office - Darwad, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को

उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Kamal Singh S/O Sh. Bhag Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

अधिसूचना

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Kewal Krishan S/O Sh. Roop Lal, Village Bardana, Post Office - Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of fd Sh. Kewal Krishan S/O Sh. Roop Lal, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Chater Singh S/O Sh. Ranchu Singh, Village Tapohal, Post Office - Kot, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Chater Singh S/O Sh. Ranchu Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Jai Gopal S/O Sh. Puran Chand, Village- Banal, Post Office - Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Jai Gopal S/O Sh. Puran Chand, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Birender Singh S/O Sh. Balam, Village- Parsda Hawani, Post Office Ropari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. . के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Birender Singh S/O Sh. Balam, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Nanak Chand S/O Sh. Bhola Ram, Village Saraskana, Post Office - Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त चक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Nanak Chand S/O Sh. Bhola Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex- Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Surender S/O Sh. Hira Lal, Village & Post Office-Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Surender S/O Sh. Hira Lal, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, tahe ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Prakash Chand S/O Sh. Laskari Ram, Village Baral, Post Office - Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Prakash Chand S/O Sh. Laskari Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Kam Raj S/O Sh. Biri Singh, Village Barnota, Post Office - Ropardi, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Kam Raj S/O Sh. Biri Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the .....October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Daya Ram S/O Sh. Rotali Ram, Village Bharud, Post Office - Dhalara, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Daya Ram S/O Sh. Rotali Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Sanjay Kumar S/O Sh. Roshan Lal, Village Jagana, Post Office - Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Sanjay Kumar S/O Sh. Roshan Lal, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Prem Chand S/O Sh. Relu Ram, Village Gorat, Post Office - Sayoh, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Prem Chand S/O Sh. Relu Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Ramesh Chand S/O Sh. Roshan Lal, Village- Kandapatan, Post Office - Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Ramesh Chand S/O Sh. Roshan Lal, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Chamaru Ram S/O Sh. Sajoo Ram, Village Kalswai, Post Office Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Chamaru Ram S/O Sh. Sajoo Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the ..... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Sukh Dev S/O Sh. Jawahar Lal, Village & Post Office - Longani, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Sukh Dev S/O Sh. Jawahar Lal, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, the .... October, 2008

संख्या 11-23/84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Chander Pal S/O Sh. Mehar Singh, Village & Post Office - Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Chander Pal S/O Sh. Mehar Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 84(Lab) I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh Chander Pal S/O Sh. Mehar Singh, Village & Post Office - Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Chander Pal S/O Sh. Mehar Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–23 / 86(Lab) I.D/08-Nahan.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vir Dutt S/O Sh. Surat Ram, R/O Village Thanga, PO Devna, Sub-Teshil Nohradhar, Distt. Sirmour, H.P. V/S The Executive Engineer, IPH Division Nahan, Distt. Sirmour, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of the services of Shri Vir Dutt S/O Sh. Surat Ram by the Executive Engineer, IPH Division Nahan, Distt. Sirmour, H.P. w.e.f. 01.5.1996 without complying the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 and retaining his junior workmen, is proper and justified? If not, what relief of service benefits and compensation the above worker is entitled to?"

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–6 / 85(Lab) I.D/08-Shimla.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mohan Lal S/O Shri Dhani Ram, Village Shivi, PO Basantpur, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, H.P.V/S The Divisional Forest Officer Shimla, Mist Chamber, Khalini, Shimla-2, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether termination of the services of Sh. Mohan Lal S/O Shri Dhani Ram by the Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division Shimla w.e.f. 30.3.2007 and retaining junior workmen to him and without complying the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from above employer?"

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–6/85(Lab) I.D/08-Shimla.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Tota Ram S/O Shri Gita Ram, Village Manjhali Jain, PO Chenawag, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, H.P.V/S The Divisional Forest Officer Shimla, Mist Chamber, Khalini, Shimla-2, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8/89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether termination of the services of Sh. Tota Ram S/O Shri Gita Ram by the Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division Shimla w.e.f. 30.3.2007 aqnd retaining junior workmen to him and without complying the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from above employer?"

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–6/85(Lab) I.D/08-Shimla.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ramesh Kumar S/O Shri Lekh Ram, Village Drabla, PO Karyali, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, H.P V/S The Divisional Forest Officer Shimla, Mist Chamber, Khalini, Shimla-2, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8/89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को

उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether termination of the services of Sh. Ramesh Kumar S/O Shri Lekh Ram by the Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division Shimla w.e.f. 30.3.2007 & retaining junior workmen to him and without complying the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from above employer?"

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–6 / 85(Lab) I.D/08-Shimla.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Roop Lal S/O Shri Khivan Ram, Village Mandap, PO Karyali, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, H.P.V/S The Divisional Forest Officer Shimla, Mist Chamber, Khalini, Shimla-2, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether termination of the services of Sh. Roop Lal S/O Shri Khivan Ram by the Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division Shimla w.e.f. 30.3.2007 and retaining S/Sh. Uma Dass, Narinder, Yog Raj, Gagan, Nek Chand, Surinder, Yog Raj, Ram Singh & Tilak Ram who are juniors to him as alleged by workmen, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from above employer?"

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : 11–2 / 93(Lab) I.D/08-Solan.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Ram Nath Arora, S/O Sh. Som Shah, House No.-12, Upper Mohalla, Kalka (Haryana) V/S The Managing Director, M/S Purolator India Ltd. Parwanoo, Distt. Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का

14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether dismissal orders of the services of Sh. Ram Nath Arora, S/O Sh. Som Shah w.e.f. 24.4.2007 by The Managing Director, M/S Purolator India Ltd. Parwanoo, Distt. Solan, H.P., without observing the principal of natural justice, as alleged by the worker and without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief of service benefits, amount of compensation, back wages and seniority the aggrieved workman is entitled to?"

———

शिमला–171001, ...October, 2008.

संख्या : **11–6 / 85(Lab) I.D/08-Shimla.**—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Besar Dass S/O Shri Charan Dass, Village Mandap, PO Karyali, Tehsil Sunni, Distt. Shimla, H.P.V/S The Divisional Forest Officer Shimla, Mist Chamber, Khalini, Shimla-2, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether termination of the services of Sh. Besar Dass S/O Shri Charan Dass by the Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division Shimla w.e.f. 30.3.2007 and retaining S/Sh. Uma Dass, Narinder, Yog Raj, Gagan, Nek Chand, Surinder, Yog Raj, Ram Singh & Tilak Ram who are juniors to him as alleged by workmen, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from above employer?"

————————

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-2/93 (Lab)I.D/08-Baddi/Barotiwala.**—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Karan Singh S/O sh. Pala Ram, Village Sureti Jakhal, PO Sureti Kalan, Distt. Mahendergarh, Haryana V/s Managing Director, Chandra Lakshmi Tempered Glass Company Pvt. Ltd. Industrial Area, Barotiwala, Distt. Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether action of the management of M/S Chandra Lakshmi Tempered Glass Company Pvt. Ltd. Industrial Area, Barotiwala, Distt. Solan, H.P. to terminate the services of Sh. Karan Singh S/O Sh. Pala Ram w.e.f. 03.5.2007 without conducting any domestic enquiry & offering any chance to hear him and also without complying the provisions of the Industrial Disputes Act., 1947 is legal and justified? If not, what relief of service benefits, seniority and amount of compensation the aggrieved workman is entitled to from above management?"

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-23/84 (Lab)I.D/2008-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Ram Kumar S/O Sh. Badri Dass, Village Fiyud, Post Office -Sari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Ram Kumar S/O Sh. Badri Dass, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-23/84 (Lab)I.D/2008-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Kamar Singh S/O Sh. Govind Ram, Village Riyur, Post Office –Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Kamar Singh S/O Sh. Govind Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-23/84 (Lab)I.D/2008-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Ramesh Kumar S/O Sh. Damodar Dass, Village Kapahi, Post Office–Sari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Ramesh Kumar S/O Sh. Damodar Dass, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-23/84 (Lab)I.D/08-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Gulab Singh S/O Sh. Kanshi Ram, Village Hawani, Post Office –Ropari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Gulab Singh S/O Sh. Kanshi Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-23/84(Lab)I.D/2008-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Rajender Pal S/O Sh. Halaku Ram, Village Riyur, Post Office –Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Rajender Pal S/O Sh. Halaku Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-23/84(Lab)I.D/2008-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Ramesh Chand S/O Sh. Sant Ram, Village Ganteryalu, PO Baroti, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Ramesh Chand S/O Sh. Sant Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-1/95(Lab)I.D/2008-Rampur.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Jagat Singh S/O Sh. Garibu Ram R/O Village & PO Bhutti, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, H.P V/S The Divisional Manager/ Regional Manager, HRTC Rampur Division, Tehsil Rampur, Distt. Shimla, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of the service of Sh. Sh. Jagat Singh S/O Sh. Garibu Ram w.e.f. 20.4.2000, who was engaged on contract of 89 days from 01.8.98, by the Divisional Manager/ Regional Manager, HRTC Rampur Division, Tehsil Rampur, Distt. Shimla, H.P., and retaining junior workers is proper and justified? If not, what relief of service benefits including reinstatement, seniority the above worker is entitled to ?"

———

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : **11-23/84(Lab)I.D/2008-Mandi.—**अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Mast Ram S/O Sh. Trahdu Ram, Village- Triyambla, Post Office Longani, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Mast Ram S/O Sh. Trahdu Ram, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

———

शिमला–171001 .....November, 2008.

संख्या : 11-23/84(Lab)I.D/2008-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Partap Singh S/O Sh. Hari Singh, Village- Kalsawai, Post Office Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. V/S The Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur, Distt. Mandi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether retrenchment of services of Sh. Partap Singh S/O Sh. Hari Singh, by the Executive Engineer, HPPWD Division, Dharampur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, w.e.f. 08.7.2005, without following the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above Ex-Worker is entitled to from the above employer?"

By order,
Sd/-
Labour Commissioner.

———

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 13th Feb., 2009

No. IPH (A) 2 (B) 6-12/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order transfer of Smt. Staya Sharma, Assistant Engineer from IPH Circle, Sundernagar to IPH S/Division, Rewalsar against vacant posts, with immediate effect, in the public interest.

The officer will submit her charge reports of relinquishment and assumption to this Department immediately.

शिमला–171002, 5 फरवरी, 2009

संख्या सिंचाई 11–94 / 2008–हमीरपुर.––यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दरोधन, मौजा वजूरी, तहसील व जिला हमीरपुर में पम्प घर चौकीदार क्वार्टर व जल भण्डारण टैंक उठाऊ पेयजल योजना कराड़ा द्वितीय चरण ठाणा दरोघन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र कनाल–मरला में
हमीरपुर	हमीरपुर	दरोधन मौजा वजूरी	5316	0–7

शिमला–171002, 5 फरवरी, 2009

संख्या सिंचाई 11–81 / 2008–हमीरपुर.––यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जिजवीं, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र कनाल–मरला में
हमीरपुर	भोरंज	जिजवीं	155 / 1	0–12

शिमला–171002, 5 फरवरी, 2009

संख्या सिंचाई 11–83 / 2008–हमीरपुर.––यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फहाल झिकला, मौजा फाहल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में L.I.S. Kuhl के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टेयर में
हमीरपुर	नादौन	फाहल–झिकला	72 / 2 / 1	0–07–90 है0

शिमला–171002, 5 फरवरी, 2009

संख्या सिंचाई 11–85 / 2008–हमीरपुर.––यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सिंघवी, मौजा पंजग्रा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर में L.W.S.S. सटोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र कनाल–मरला में
हमीरपुर	बड़सर	सिंघवी	330 / 1	0–06–76 है0

शिमला–171002, 5 फरवरी, 2009

संख्या सिंचाई 11–84 / 2008–हमीरपुर.––यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर में L.W.S.S. Galu के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र कनाल–मरला में
हमीरपुर	बड़सर	बड़सर	479 / 1	0–2

शिमला–171002, 6 फरवरी, 2009

संख्या सिंचाई 11–82 / 2008–हमीरपुर.––यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव धर्मियाणा, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में पम्प घर व चौकीदार क्वार्टर व जल भण्डारण टैंक उठाऊ पेयजल योजना रगंड II-III & IV के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र कनाल–मरले में
हमीरपुर	सुजानपुर	धर्मियाणा मौजा भलेठ	219	38–13 है0

शिमला–171002, 13 फरवरी, 2009.

संख्याः सिंचाई 11–86 / 2008– I–बिलासपुर.––यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नोग तहसील सदर जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र बिघा–बिस्वा में
बिलासपूर	सदर	नोग	571 / 123 / 1 572 / 123 / 1 133 / 1 किता–3	0–03 0–11 2–7 3–1

शिमला–171002, 13 फरवरी, 2009.

संख्याः सिंचाई 11–92 / 2008–कांगड़ा.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल कालदूं मौजा आम्बल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना सिद्वाथा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा–(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र बिघा–बिस्वा में
कांगड़ा	ज्वाली	आम्वल कालदूं	779 / 751 / 2 / 1	0–03–11
			780 / 751 / 2 / 1	0–07–04
			752 / 2 / 1	0–08–33
			782 / 759 / 2 / 1	0–05–35
			किता–4	0–23–83 है0

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /
प्रधान सचिव ।

SAINIK WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 13 February, 2009

No. SWD (F) 2-1/90-II.—In continuation of this Department letter No. GADE (F)2-1/90-II dated 5th July, 2002, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order enhancement of rates of Financial Assistance being paid to the Ex-Servicemen/their widows, who are above 60 years of age and are not in receipt of any kind of pension and whose income does not exceed Rs.11,000/- per annum from all sources, from Rs.200/- per month to Rs.330/- per month *w.e.f* 1.1.2009.

By Order,
B.K. AGARWAL,
Secretary.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला 171009, दिनांक 18 फरवरी, 2009

संख्याः पीसीएच–एचए(3)18 / 2007–40558–62.–क्योंकि विभाग में, जिला मण्डी के विकास खण्ड मण्डी सदर, की ग्राम सभा जागर के मुख्यालय को स्थान जागर से बदलकर मुहाल साम्बल में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन हैः

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के विकास खण्ड मण्डी सदर, की ग्राम सभा जागर के मुख्यालय को स्थान जागर से बदलकर स्थान मुहाल साम्बल में स्थापित करने का प्रस्ताव करते है और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एंव सार्वजनिक आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (आसाधारण) मे प्रकाशित करने एंव जिला मण्डी के उपायुक्त को उक्त बारे सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं :

यदि ग्राम सभा जागर के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपने आक्षेप या सुझााव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर–2 उपायुक्त मण्डी को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो ग्रहण नहीं किये जाएंगे :

राज्य सरकार, जिला मण्डी, विकास खण्ड मण्डी सदर, की ग्राम सभा जागर के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, गलोड़, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : तकसीम

उनवान : प्रेम चन्द बनाम बलदेव सिंह, निवासी पनपाली, तप्पा गलोड़।

इश्तहार बनाम श्री वजन सिंह, श्री शीतल, श्री विजय कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह व विशनी देवी पत्नी हरनाम सिंह तथा श्री प्रताप सिंह पुत्र जैशी राम निवासीगण पनपाली, तप्पा गलोड़, सब–तहसील गलोड़, जिला हमीरपुर . . फ्रीकदोयम।

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री घनलारा ने एक मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में गुजारा है कि इस मुकद्दमा में उपरोक्त फ्रीकदोयम इस न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त फ्रीकदोयम को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13–3–2009 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित आएं। न हाजिर होने पर कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11–2–2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, गलोड़,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सदर, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री नानक पुत्र श्री चिमना, निवासी पाली, डाकघर चुनाहण,तहसील सदर, जिला मण्डी, ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी।

नाम दरुस्ती बारे।

श्री नानक पुत्र श्री चिमना, निवसी पाली, डाकघर चुनाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख व पंचायत अभिलेख में नानक दर्ज परन्तु मुहाल नायटला के राजस्व अभिलेख में नारायण सिंह दर्ज हुआ है जो कि गलत है प्रार्थी ने अपने नाम की पुष्टि के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर व नकल जमाबन्दी मुहाल रा व नकल जमाबन्दी मुहाल नायटला तथा शपथी–पत्र संलग्न कर रखा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति / रिश्तेदार को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–2–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने एतराज पेश कर सकता है। हाजर ना होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16–1–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

अदालत श्री राकेश ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री सोम चन्द पुत्र श्री तोतू राम, निवासी घड़ौपा (साहल) डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी।

नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा।

श्री सोम चन्द पुत्र श्री तोतू राम, निवासी घड़ौपा (साहल) डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने शपथी–पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 18–3–2003 को घर पर गांव घडौपा, ग्राम पंचायत पाली में हुआ है। उसकी पुत्री का नाम तनू व जन्म तिथि 18–3–2003 है जिसे वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पाली में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम तनु व जन्म तिथि 18–3–2003 दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7–3–2009 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10–2–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राकेश ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री राकेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री मोहन लाल उर्फ मूलू राम वडी धार, डा0 पदवाहण, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम उर्फ दर्ज करवाने बारे।

श्री मोहन लाल उर्फ मूलू राम वडी धार, डा0 पदवाहण, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने शपथी–पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि ग्राम पंचायत बडी धार के तमाम रिकार्ड में मोहन लाल उर्फ मूलू राम दर्ज है। जबकि मुहाल बडीधार, तहसील पधर के राजस्व कागजात में उसका नाम मूलू ही दर्ज है। मोहन लाल व मूल राम दोनो नामों का एक ही व्यक्ति है। दोनों ही नाम उसके प्रचलित नाम है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि मुहाल वडीधार, तहसील पधर के तमाम राजस्व कागजात में उसका नाम मोहन लाल उर्फ मूलू राम दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24–2–2009 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10–2–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राकेश ठाकुर,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री राकेश ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री रोहित पुत्र श्री देवी सिंह, गांव फुटाखल, डा0 झटीगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश नाबालिग बजरिया पिता श्री देवी सिंह, निवासी फुटाखल, डा0 झटीगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म एवं मुत्यु दर्ज करवाने बारे।

श्री रोहित पुत्र श्री देवी सिंह, गांव फुटाखल, डा0 झटीगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश नाबालिग बजरिया पिता श्री देवी सिंह, निवासी फुटाखल, डा0 झटीगरी, के माध्यम से इस अदालत में एक

प्रार्थना–पत्र शपथी–पत्र सहित गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसके पुत्र रोहित का जन्म दिनांक 11–4–2005 को घर में गांव फुटाखल में हुआ है। प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी की पत्नी दोनों अनपढ़ है जिस कारण अज्ञानतावश अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत जिल्हन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः इस अदालत में प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम रोहित व जन्म तिथि 11–4–2005 दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 3–3–2009 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10–2–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राकेश ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री राकेश ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री राहुल पुत्र श्री देवी सिंह, गांव फुटाखल, डा0 झटीगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश नाबालिग बजरिया पिता श्री देवी सिंह पुत्र श्री नाग, निवासी फुटाखल, डा0 झटीगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म एवं मुत्यु दर्ज करवाने बारे।

श्री राहुल पुत्र श्री देवी सिंह, गांव फुटाखल, डा0 झटीगरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश नाबालिग बजरिया पिता श्री देवी सिंह, निवासी फुटाखल, डा0 झटीगरी, के माध्यम से इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र शपथी–पत्र सहित गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसके पुत्र राहुल का जन्म दिनांक 1–12–2006 को घर में गांव फुटाखल में हुआ है। प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी की पत्नी दोनों अनपढ़ है जिस कारण अज्ञानतावश अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत जिल्हन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः इस अदालत में प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम राहुल व जन्म तिथि 1–12–2006 दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 3–3–2009 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10–2–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राकेश ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री राकेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री सौजी राम, निवासी लच्छयाण, डा0 वरधाण, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत मुहाल–लच्छयाण, तहसील पधर के तमाम अभिलेखों में नाम उर्फ दर्ज करवाने बारे।

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री सौजी राम, निवासी लच्छयाण, डा0 वरधाण, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने शपथी–पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि ग्राम पंचायत वरधाण के तमाम रिकार्ड व अन्य कागजात में उसका नाम प्रेम नाथ दर्ज है। मुहाल लच्छयाण के तमाम राजस्व कागजात में उसका नाम प्रेम सिंह दर्ज है। वह इन दोनो नामों का एक ही व्यक्ति है वह यह दोनों नाम उसके प्रचलित नाम है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि मुहाल लच्छयाण, तहसील पधर के तमाम राजस्व कागजात में उसका नाम प्रेम सिंह उर्फ प्रेम नाथ दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30–3–2009 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12–2–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राकेश ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री शरद सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री गुडू पुत्र श्री नरोतम, निवासी जमटेहड, डा0 वोचिंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी।

जेर धारा 37(2) नाम उर्फ दर्ज करवाने बारे।

श्री गुडू पुत्र श्री नरोतम, निवासी जमटेहड, डा0 वोचिंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने शपथी–पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि ग्राम पंचायत वरधाण के तमाम रिकार्ड में गुडू उपनाम वेद प्रकाश दर्ज है जो कि दोनों नाम उसके प्रचलित नाम है। मुहाल जमटेहड़, तहसील पधर के राजस्व कागजात मे उसका नाम गुडू ही दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि मुहाल जमटेहड़, तहसील पधर के तमाम राजस्व कागजात में उसका नाम गुडू उर्फ वेद प्रकाश दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12–3–2009 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। शरद सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित